

जुद्ध अदालत अभियान- 2017 न्याय आपके द्वार अभियान कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत
अमृतकुआ- जिला कोटा (राज0)

बडजलास मनमोहन मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सांगोद

20/2017

दायरा तिथि : 5/2/2016

बउनवान

श्याम मोहन पत्नि राजकुमार जाति नन्दवाना बोहरा निवासी गुरायता हाल
कपासन जिला चित्तोडगढ राज0

आत्मज श्याममोहन जाति नन्दवाना बोहरा निवासी गुरायता हाल मुकाम
कोटा (राज0)

श्याममोहन पत्नि राजेश कुमार निवासी गुरायता हाल निवी कपासन जिला
राज0

श्याममोहन जाति नन्दवाना बोहरा निवासी गुरायता हाल मुकाम सूरत
सूरत

- वादी

गोपालाल जाति नन्दवाना बोहरा निवासी गुरायता तह0 सांगोद हाल
बजरंग नगर कोटा जिला कोटा।

सरकार जयें तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)

-प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0 एक्ट

-:निर्णय:-

दिनांक:- 13.06.2017

इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी नं.1 के खाते व कब्जे काश्त की पुश्तैनी आराजी
पटवार हल्का अमृतकुआ तहसील सांगोद में खाता सं. 174 नया व पुराना 143 के खसरा
की 1.32 है, ख.न. 389 की 1.35 है, ख.न. 730 की 0.05 है, ख.न. 733 की 0.03, ख.न. 735 की 4.
990 की 0.10 है व खसरा न.1001 की 3.85 है कुल कित्ता 7 की 10.67 है आराजी स्थित
वर्तमान में प्रतिवादी न.1 के खाते दर्ज है।



उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

सजरा निम्न प्रकार है : श्याम मनोहर प्रतिवादी न.1 दुर्गेश पुत्री, गिरिजाशंकर । यह है कि वाद पत्र की मद न.1 में वर्णित आराजीयात् प्रतिवादी न.1 त मोतीलाल जी से उत्तराधिकार से प्राप्त आराजी है जो कि वादीगण की पैत आराजीयात् में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का जन्म जिसके आधार पर वादीगण उक्त आराजीयात् में प्रतिवादी न01 के साथ वा करने के अधिकारी है तथा अपने 1/5 हिस्से की धोषणा प्रत्येक वादीगण धोषणा करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण न.1 रेकार्ड में अपने नाम दू को रहन बैय करने पर आमादा है तथा उक्त आराजी को खुर्द बुर्द करने वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय में वा करने हक की धोषणा अलग अलग करवाये ।

वाद पत्र की मद न01 में वर्णित माल ग्राम गुरायता पटवार हल्का अमृतकुआ 174 नया व पुराना 143 के खसरा न. 386 की 0.82 है0, ख.न. 389 की 1.35 न. 733 की 0.03, ख.न. 735 की 4.47 है0, ख.न. 990 की 0.10 है0 व खसरा का 7 की 10.67 है0 वादीगण व प्रतिवादी 1 की पुश्तैनी आराजी होने से हिन्दू व प्रतिवादी न01 को जन्म से ही हक निहित होने से प्रतिवादी न.1 के साथ वाट बराबर का अर्थात् 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार कृषक धोषित किया करमायी जावे तथा उक्त धोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त करके राजस्व होने के सादिर आदेश पारित किये जावे।

आपके द्वारा अभियान कोर्ट केम्प दीगोद में विचारणीय रखी गई। पत्रावली के को गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी डिकी किये जाने में कोई आपत्ति नही होना अपने जवाब में अंकित किया

उन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर माल ग्राम गुरायता सांगोद में खाता सं0 174 नया व पुराना 143 के खसरा न. 386 की 0.82 730 की 0.05 है0, ख.न. 733 की 0.03, ख.न. 735 की 4.47 है0, ख.न. 990 की 3.85 है0 कुल कित्ता 7 क्री 10.67 है0 वादीगण व प्रतिवादी 1 को है। उक्तानुसार डिकी मुर्तिब की जावे।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
सागाद
मिला कोटा